पंचदश

बिहार विधान-सभा

षोडश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 27 चैत्र, 1937 (शा0)
17 अप्रील, 2015 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या-5

(1) स्वास्थ्य विभाग	05
कुल योग —	05

जाँच कराना

31. श्री महेन्द्र बैठा--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 2 अप्रैल, 2015 को प्रकाशित शीर्षक "8 घंटे एडमिट, दो लाख का बिल, हंगामा देख 50 हजार किया कम" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के निवासी रामाशीष यादव को दिनांक 31 मार्च, 2015 को रात सीने में दर्द होने के कारण राजा बाजार, पटना स्थित पारस हॉस्पिटल में ले जाया गया था जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें आई0सी0यू0 में भर्ती किया एवं परिजनों को वापस भेज दिया ;

(2) क्या यह बात सही है कि डॉक्टरों की लापरवाही से रामाशीष की मृत्यु हो गयी तथा अगले दिन सुबह परिजनों को खबर दी गयी, साथ ही दो लाख दो हजार रुपये का बिल भी थमा दिया गया किन्तु परिजनों के आक्रोशित होने पर बिल की कुल राशि में 50 हजार रुपये की कटौती कर दी गयी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महज 8 घंटे के भीतर मरीज की हुई मृत्यु एवं इलाज में उक्त राशि के खर्च की जाँच कराने एवं दोषी पर कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

32. श्री प्रेम कुमार--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "सर्जिकल सामग्रियों की जाँच पर फिर विवाद" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में बी0एम0एस0आई0सी0एल0 ने जनवरी, 2015 में एक दर्जन से अधिक दवा कम्पनियों को बिना जाँच के ही पैसे का भुगतान कर दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दवा कम्पनियों ने खुद ही सामग्रियों की जाँच कराई क्योंकि बी0एम0एस0आई0सी0एल0 ने दवा जाँच नहीं कराई जिसकी वजह से दवा कम्पनियों को ऐसा करना पड़ा ;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 में दवा घोटाला उजागर होने से स्वास्थ्य विभाग ने कम्पनियों द्वारा सप्लाई की गई सामग्री की जाँच बी0एम0एस0आई0सी0एल0 द्वारा कराने और बिना जाँच के सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति नहीं करने का निर्देश दिया था परन्तु विभाग ने इसका अनुपालन नहीं कराया, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है तथा सरकार उस संबंध में कबतक कार्रवाई कराने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

33. डॉ0 इजहार अहमद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 अगस्त, 2014 को प्रकाशित शीर्षक "बिहार के लोग रोज खा रहे तीन करोड़ की नकली दवाएँ" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में दवाओं का कारोबार सालाना 3,917 करोड़ का है जिसमें एक दिन में 10 करोड़ 73 लाख रुपये की दवा खप जाती है तथा नकली दवाओं का एक हजार करोड़ का कारोबार है जो कानपुर एवं दिल्ली से आती है तथा बिहार के पटना एवं गया में इसके मुख्य ठिकाने हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना स्थित गोविन्द मित्रा रोड में असली एवं नकली दवाओं की मुख्य मंडी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराते हुये नकली दवा विक्रेताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू कराना

34. श्री संजय सिंह ''टाईगर''--दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक ''लापरवाही के रोग से 10 करोड़ की मशीन बीमार'' के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मशीनों का समय पर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण 10 करोड़ की जाँच मशीन बेकार रहने के कारण मरीजों को जाँच मशीन का लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बेकार पड़े जाँच मशीनों को चालू कराकर मरीजों को जाँच का लाभ दिलाने का विचार रखती है ?

नियमावली बनाना

35. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011 में राज्य में क्लिनीकल एस्टेबलिसमेंट एक्ट लागू किया गया है किन्तु अबतक विभाग द्वारा नियमावली नहीं बनाया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

पटना :
दिनांक 17 अप्रील, 2015 (ई0)।

हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि0स0मु0 (ए,ल0ए0), 45-डी0टी0पी0-450